

74/2010

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

21/11/20

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित। विप्रार्थी पक्ष जवाब पेश करने हेतु एक ओर अवसर चाहे रहे है। जबकि पूर्व में पर्याप्त अवसर दिए गए है। ऐसी सूरत में विप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाता है। तत्पश्चात उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में खातेदारी अधिकारों की धोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का मुख्य अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगी कि वादीगण/प्रार्थीगण राहत प्राप्त करने के अधिकारी है अथवा नहीं। लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किए जाने का ऐसा कोई औचित्य पूर्ण कारण सामने नहीं आया है। जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि स्थगन आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम द्विष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनते है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर  
(S.D.G.) बालोतरा

21.11.2017